

विद्युत सेवा आयोग

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०,

एस०एल०डी०सी०परिसर(निकट मंत्री आवास),

विभूति खण्ड, फेज-२, गोमती नगर

लखनऊ-२२६०१०

(विज्ञापन सं० ०३/विसेआ/२०१७/लेखा-३०)

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के अधीन रिक्त पदों पर चयन हेतु कॉरपोरेशन से प्राप्त अधियाचन के अनुपालन में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा के द्वारा निर्धारित अनिवार्य अहत्ता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(१). पदों का विवरण:-

क्रम सं०	पद कोड	पदनाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु सूचित जनजाति	वेतनमान	
							वेतनमान	ग्रेड-पे
१	२७	कार्यालय सहायक(श्रेणी-३) लेखा OFFICE ASSISTANT-III(ACCOUNTS)	१६	०६	०७	०१	५२००-२०२००	२६००

इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।

(२). सामान्य अहतायें

(i)	राष्ट्रीयता	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :- (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, १९६२ के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा(म्यांमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ़्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन (Migrate) किया हो: प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका हो: प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानीरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो।
(ii)	आयु	दिनांक ०१.०७.२०१७ को न्यूनतम - २१ वर्ष दिनांक ०१.०७.२०१७ को अधिकतम - ४० वर्ष
(iii)	चरित्र प्रमाण पत्र	(क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवाया जायेगा। सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जायेंगी। (ख) अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। (ग) अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के दो ऐसे संभ्रान्त व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, से सतरचित्रता का प्रमाण पत्र भी नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।
(iv)	स्वस्थता प्रमाण पत्र	प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसे कारपोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
(v)	वैवाहिक स्थिति	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परन्तु यह कि निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

नोट-केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे।



(3). अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया:-पदवार अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निम्नवत है:-

(i) अनिवार्य अहंतार्ये : (क) भारत में केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि (ख) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में **न्यूनतम 30 शब्द** प्रति मिनट की गति अनिवार्य।

(ii) चयन प्रक्रिया :

(क) लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा तथा परीक्षा ऑन-लाइन माध्यम से करायी जायेगी।

प्रथम भाग :-प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात् यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये $1/4$ अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी। प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अहं न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :- लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये $1/4$ अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
अंकगणित	25	25
सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी	50	50
एकाउन्टेंसी एवं सामान्य बुक कीपिंग	75	75
कुल अंक		150

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात् ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे। टंकण परीक्षा हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों के सापेक्ष 05 गुना होगी।

(ख) टंकण परीक्षा :— उपरोक्तानुसार तैयार की गयी “अनन्तिम सूची” के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की हिन्दी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा तथा इस टंकण परीक्षा में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का नाम “अनन्तिम सूची” से हटाते हुए जो सूची तैयार होगी, उसमें से रिक्तियों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया जायेगा।

(4). अनिवार्य अर्हतायें सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :-

अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से (provisionally) समिलित किया जायगा। अभ्यर्थियों को मात्र लिखित परीक्षा में समिलित होने से अर्हता साबित होने अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जायेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के अर्हता सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच हेतु निर्धारित स्थान एवं तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी।

(ख) किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(घ) अर्हता सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की जाँच हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थिति होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हए, अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। परं कोर्ट अब इसका नहीं

(5) आयु में अनुमन्य छूट : (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी। (ख) भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हए छूट अनुमन्य होगी।



(6) आरक्षण :- आरक्षण के सम्बन्ध में उ०प्र०शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेशों, एवं कॉरपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार ही आरक्षण के नियम लागू होंगे। अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को नियमानुसार कुल रिक्तियों का 5 क्षेत्रिज आरक्षण अनुमन्य होगा। (ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को नियमानुसार कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण अनुमन्य होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार कुल रिक्तियों का 3 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट:- (i) नवीनतम शासनादेश के अनुसार विज्ञापित 30 पदों के विरुद्ध गणनानुसार क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं।

(ii) आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो उ०प्र० के मूल निवासी नहीं है, सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें।

(7) अनापत्ति प्रमाण पत्र : यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण आवेदकों की संख्या पर निर्धारित है। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने पर आन-लाइन परीक्षा (सी०बी०टी०) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् Normalisation method श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।

(8) आवेदन शुल्क :

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	सामान्य श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन-क्रीमीलेयर) / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक	रु० 1000/-
2	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	रु० 700/-
3	विकलांग अभ्यर्थियों द्वारा केवल प्रक्रमण शुल्क	रु० 10/-

(9) विज्ञापित पद पर निर्धारित दक्षता परीक्षा के अन्तर्गत कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण केवल Microsoft Word-2007 में Font:Kruti Dev-010/016 तथा Font Size:14/16 में ली जायेगी।

(10) आवेदन कैसे करें : वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब “APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO.-03—विसेआ/2017/लेखा-30” पर क्लिक करें तथा नये वेबपेज पर How to Apply पर क्लिक कर प्रक्रिया को समझें।

(11) प्रवेश पत्र : लिखित परीक्षा तथा दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड ई-मेल पर उपलब्ध कराया जायेगा।

आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु eschelpdesk317@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

विवरण	तिथि
ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं आवेदन शुल्क जमा की तिथियाँ	04-09-2017 से 25-09-2017
सम्मावित लिखित परीक्षा तिथि	माह अक्टूबर 2017 में।

सचिव
विद्युत सेवा आयोग

सं० १००९/विसेआ/03—विसेआ—2017/लेखा—30

दिनांक: 30-08-2017

